न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 60/2015

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री जीतू जोगी पुत्र श्री रामसेवक जोगी निवासी जोगी का नाडा, तहसील अराई जिला अजमेर
2. श्री रामसेवक पुत्र श्री रंगानाथ निवासी जोगी का नाडा, तहसील अराई जिला अजमेर
3. श्री मदनशर्मा मैनेजर, के.वी.एस.एस किशनगढ
4. श्री सुरेश शर्मा सेल्समैन, के.वी.एस.एस किशनगढ

.....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :. 1. श्री नीरज कुमार जैन प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 08.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 10.11.2015 को नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी डी.एस.ओ अजमेर (प्रथम) के आदेश पर श्री हेमन्त आर्य प्रवर्तन निरीक्षक के साथ थाना सिटी किशनगढ़ पहुंचा। मौके पर थाना प्रभारी श्री गोमाराम मौजूद मिले। थाना प्रभारी द्वारा श्रीमान डी.एस.ओ (प्रथम) के नाम तहरीर दी गई जिसके अनुसार दिनांक 10.11.2015 रात्रि को ट्रक नम्बर RJ-14 2G 4238 में 20 कटटे गेहूँ भरे पाये जाने पर ट्रक को थाना परिसर में रख कर डिटेन किया गया। मौके पर ज्ञात हुआ कि के.वी.एस.एस किशनगढ़ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ का उक्त ट्रक नलू एफ.पी.एस डीलर श्री अनिल टांक के यहा गया था। ट्रक के ड्राईवर श्री जीतू के अनुसार डीलर श्री अनिल टांक को आवंटित 57 क्विंटल के स्थान पर उसके द्वारा केवल 47 क्विंटल गेहूँ उतरवाया गया तथा शेष 10 क्विंटल गेहूँ ड्राईवर के पास रखवा दिया गया। श्री जीतू जोगी पुत्र श्री रामसेवक जोगी. श्री रामसेवक पुत्र रंगानाथ जोगी तथा मैनेजर एवं सेल्समैन के. वी.एस.एस किशनगढ का यह कृत्य (राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ) आदेश 1974 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 तथा पी.डी.एस कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के कलाज 6(3), 6(4) (1) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कब्जेराज ली गई 10 किवंटल गेहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किए जाने से जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। अप्रार्थीगण सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं। पेरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 10.11.2015 को मैं नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी श्रीमान डी.एस.ओ महोदय. अजमेर (प्रथम) के आदेश पर श्री हेमन्त आर्य प्रवर्तन निरीक्षक के साथ थाना सिटी किशनगढ़ पहुंचा। मौके पर थाना प्रभारी श्री गोमाराम मौजूद मिले। थाना प्रभारी द्वारा श्रीमान डी.एस. ओ (प्रथम) के नाम तहरीर दी गई जिसके अनुसार दिनाक 10.11.2015 रात्रि को ट्रक नम्बर आर.जे. 14 2जी 4238 में 20 कटटे गेहूँ भरे पाये जाने पर ट्रक को थाना परिसर में रख कर डिटेन किया गया। मौके पर ज्ञात हुआ कि के.वी.एस.एस किशनगढ़ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ का उक्त ट्रक नलू एफ.पी.एस डीलर श्री अनिल टांक के यहा गया था। ट्रक के ड्राईवर श्री जीतू के अनुसार डीलर श्री अनिल टाक को आवंटित 57 क्विंटल के स्थान पर उसके द्वारा केवल 47 क्विंटल गेहूँ उतरवाया गया तथा शेष 10 क्विंटल गेहूँ ड्राईवर के पास रखवा दिया गया। अराई पुलिया के पास पुलिस द्वारा इस ट्रक को पकड़ लिया गया। ऐसी स्थिति में में श्री हेमन्त आर्य के साथ एवं श्री रामलाल, कांसटेबल बेल्ट न 235 थाना किशनगढ़ सिटी अविलम्ब नलू एफ पी एस डीलर श्री अनिल टांक की दुकान पर पहुंचे। यहा पर बांदरसिंदरी थाने के दो कांसटेबल पहले से मौजूद थे। डीलर का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टरो के अनुसार सही पाया गया। श्री जीतू के पास उसक़ा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा कोई फोटो पहचान पत्र नहीं था। उसने बताया कि 10 क्विटल गेहूँ उसे अनिल टांक ने किशनगढ़ में एक व्यापारी को देने के लिये भिजवाया था जिसके भाडे के रूप में उसे 1500 रुपये मिलने थे। इससे श्री जीतू का अपराध स्वतः सिद्ध होता है। मौके पर ज्ञात हुआ कि श्री जीतू के.वी एस.एस किशनगढ़ के अधिकृत परिवहनकर्ता श्री रामसेवक का पुत्र है। स्पष्ट है कि ड्राईवर श्री जीतू के वी एस.एस के अधीन कार्यरत है। ऐसी स्थिति में संस्था के स्टॉक का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। मौके पर श्री मदनलाल शर्मा, मैनेजर, के.वी.एस.एस किशनगढ उपस्थित हुआ जिसने प्रकरण मे संलिप्तता से स्पष्ट इंकार किया किन्तु संस्था के सेल्स मैन श्री सुरेश चन्द शर्मा द्वारा थोक विकेता प्रतिनिधि के तौर पर चालान पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। साथ ही वाहन चालक के तौर पर भी श्री सुरेश चन्द शर्मा के हस्ताक्षर होना श्री सुरेश द्वारा स्वीकार किया गया जबकि नियमानुसार वाहन चालक के तौर पर श्री जीतू के हस्ताक्षर होने चाहिये थे। श्री जीतू के अनुसार उसके हस्ताक्षर केवल गुलाबी परत पर है। शेष नीचे की परतों में उसके हस्ताक्षर नहीं है। संस्था के अधिकृत परिवहनकर्ता श्री रामसेवक द्वारा चालानो पर स्वंय के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इंकार किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था की गेहूँ परिवहन में भूमिका पूर्णतः संदिग्ध है तथा गेहूँ उठाव एवं वितरण में नियमविरुद्ध कार्य किया जा रहा है। अधिकारिता से परे दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर करना नितांत अवैधानिक कृत्य है। यह स्पष्ट होने पर उक्त गेहूँ पी.डी.एस का है तथा अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था, मुझ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर संबंधित ट्रक (आरजे 14 2 जी 4238) को 20 कटटो में 10 क्विंटल गैटू (मय बारदान) राजहित में वजह सबूत कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्तशुदा साम्रगी को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

सुरक्षित रखने हेतु थाना प्रभारी श्री गोमाराम की सुपुदर्गी में दिया गया। नलू एफ.पी. एस डीलर श्री अनिल टांक के पास भीतिक सत्यापन में यद्यपि स्टॉक पूर्ण पाया गया किन्तु यह आशंका है कि उसके द्वारा राशनकार्डों में फर्जी इन्द्राज कर अवैध तरीके से गेहूँ का दुरुपयोग कर संग्रहण किया है। इस हेतु प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ़ से डीलर के रिकार्ड तथा वितरण की जाँच करायी जा रही है। श्री जीतू जोगी पुत्र श्री रामसेवक जोगी. श्री रामसेवक पुत्र रंगानाथ जोगी तथा मैनेजर एवं सेल्समैन के. वी. एस.एस किशनगढ का यह कृत्य (राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ) आदेश 1974 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 तथा पी.डी.एस कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के कलाज 6(3), 6(4) (1) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कब्जे राज ली गई 10 किवटल गेहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी 3 मदन शर्मा मैनेजर, के.वी.एस.ए. किशनगढ की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संस्था के.वी.एस.एस. किशनगढ द्वारा जरिये चालान संख्या–121 के दिनांक 09–09–2015 के द्वारा श्री अनिल टॉक उचित मुल्य की दुकान के विक्रेता को उसके ओर्डर कमांक 12311 दिनांकित 05–11–2015 की अनुपालना मे जरिये अधिकृत अनुबन्ध कर्ता श्री रामसेवक के ड्राईवर जीतू के माध्यम से भिजवाया गया था। चालान संस्था द्वारा चार प्रतियो मे जारी किया जाता है जिसकी द्वितीय प्रति पर अनिल टॉक द्वारा माल उसी दिन प्राप्त कर जाकर जिसकी पावती स्तरूप उसके द्वारा चालान की प्रति पर प्रति हस्ताक्षर कर दिये गये थे तथा श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी महोदय की जॉच रिपोर्ट व अनिल टॉक के स्टॉक की जाँच एंव के. वी. एस. एस. संस्था के संधारित रेकार्ड मे भी माल की आवक जावक का स्पष्ट इन्द्राज है अतः अनुबन्ध कर्ता रामसेवक के ड्राईवर द्वारा माल डिलीवरी के पश्चात किसी प्रकार की अवैद्यानिक गतिविधि के लिये उत्तरदाता अथवा उत्तरदाता संस्था को किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ड्राईवर जीतू के बारे मे जो उल्लेखित किया गया है के. वी. एस. एस. संस्था का कर्मचारी होना बताया यह गलत है वह तो केवल अनुबन्ध कर्ता के माध्यम से ड्राईवरी का कार्य करता है उक्त हेतु उत्तरदाता व संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट में जीतू द्वारा 1500/–रूपये मिलना व अनिल टॉक से मिलीभगती की बात लिखी गई है इस हेतु डीलर अनिल टॉक को भी आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। जिससे वास्तविकता की सही जानकारी से अवगत हो जाया जा सकता था। प्रार्थना पत्र. की पैरा सं–4 में वर्णित कथन में यह तथ्य सही है कि उत्तरदाता मौके पर उपस्थित हुआ ओर उस पूरे प्रकरण में संलिप्तता से इंकार किया गया क्योकि संस्था द्वारा नियमानुसार ओर्डर प्राप्त करने के पश्चात जरिये चालान माल डीलर को भेजा गया तथा डीलर द्वारा उक्त माल प्राप्त किया गया था तथा उक्त माल डीलर के यहाँ पहुँचने के बाद उत्तरदाता या संस्था का उससे कोई सरोकार नही रहता है। इस संबंध में विवाद नही है कि उत्तरदाता की संस्था के सेल्स मैन श्री सुरेशचन्द है परन्तु सेल्स मैन श्री सुरेशचन्द के वाहन चालक के रूप में हस्ताक्षर हो यह कहना कतई गलत है। यहाँ

जिला कलक्टर
अजमेर

यह भी निवेदन करना उचित है कि माल डिलीवरी के लिये चालान चार प्रतियो मे तैयार किया जाता है तथा चारो प्रतियो का अवलोकन करने पर चालान कमांक सामान होकर उसमे माल की मात्रा समान दर्ज है तथा माल भी उसी मात्रा में भेजा गया व डीलर द्वारा प्राप्त किया गया जो कि संस्थान के रेकार्ड व डीलर के रेकार्ड से स्पष्ट है। अतः यह कथन कि संस्था की गेहुँ परिवहन मे पूर्णतः संदिग्ध भूमिका हो या कोई नियम विरूद्ध कार्य संस्था द्वारा किया गया हो या कोई दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर हो ओर वह अवैद्यानिक हो, कतई गलत हो जाते है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 व पुनः 5 मे जो तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है उत्तरदाता या संस्था उसकी से कोई सरोकार नही रखते है क्योकि उत्तरदाता संस्था को डीलर द्वारा दिये गये आर्डर के मुताबिक माल भेजा गया वही डीलर द्वारा प्राप्त कर उसके हस्ताक्षर किये गये जो कि रेकार्ड से स्पष्ट है अतः यदि किसी प्रकार का कोई अवैद्य या अवैद्यानिक कृत्य किया या करवाया गया तो वह डीलर व ड्राईवर के मध्य का है, के लिये उत्तरदाता को या संस्था के. वी. एस. एस. को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमति गोरा मीणा द्वारा उक्त प्रकरण के पश्चात डीलर अनिल टॉक को आवंटित उचित मूल्य की दुकानो के रेकार्ड आदि की जाँच करने पर उसका लाईसेंस दिनांक 16–12–2015 व दिनांक 22–12–2015 को निलम्बित किया जा चुका है जिसकी एक प्रति उनके द्वारा के. वी. एस. एस. संस्था को भी भिजवाई गई है। तमाम से उत्तरदाता व उत्तरदाता की संस्था की संलिप्तता कही पर किसी प्रकार से रही हो प्रथम दृष्टया ही प्रतीत नहीं है। यह ही नही तमाम के बावजुद यहाँ पर यह भी लिखना उचित है कि उत्तरदाता संस्था द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध मे उक्त तथ्यो को उजागर होने पर दिनांक 13–11–2015 को श्री रामवसेवक जोगी अनुबन्धकर्ता को एक स्पष्टीकरण बाबत नोटिस जारी किया गया जिसके बाबत उसके द्वारा अपने जवाब मे यह बताया गया कि उपरोक्त पूरा प्रकरण उसके ड्राईवर जीतू जोगी व डीलर अनिल टॉक व अनुबन्ध कर्ता की स्वयं की लापरवाही के कारण उनके द्वारा मिलजुल कर किया गया होना जाहिर किया गया, जिसका जवाब प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त ठेकेदार श्री राम सेवक का टेण्डर निरस्त कर दिया गया तथा उसके द्वारा दी गई धरोहर राशि जप्त कर ली गई है तथा उक्त आदेश की सूचना दिनांक 14–11–2015 को श्रीमान रसद अधिकारी व समस्त संबंधित विभागो को प्रेषित कर दी गई है। इस प्रकार से उत्तरदाता या संस्था उसकी के द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नही किया गया ना ही कोई ऐसा कृत्य किया गया कि दाण्डिक अपराध की श्रेणी में आता हो अलावा उसके उत्तरदाता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाने पर वह श्रीमान् को सन्तुष्ट कर सकेगा कि एवं उनके द्वारा किसी प्रकार से शर्त संख्या–1 का या पी. डी. एस. कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के क्लाज 6 (3), 6(4) (आई) का उल्लघन नहीं किया ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत किसी प्रकार का दण्डनीय अपराध किया ना ही किसी प्रकार से उन्हे दोषी करार दिया जाकर दण्डित किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

अप्रार्थी 4 सुरेश शर्मा सैल्स मैन, के.वी.एस.ए. किशनगढ की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संस्था के.वी.एस.एस. किशनगढ द्वारा जरिये चालान सं–121 के दि. 09–09–2015 के द्वारा श्री अनिल टॉक उचित मुल्य की दुकान के विक्रेता

जिला कलक्टर
अजमेर

को उसके ओर्डर कमांक 12311 दिनांकित 05–11–2015 की अनुपालना मे जरिये अधिकृत अनुबन्ध कर्ता श्री रामसेवक के ड्राईवर जीतू के माध्यम से भिजवाया गया था। चालान संस्था द्वारा चार प्रतियो मे जारी किया जाता है जिसकी द्वितीय प्रति पर अनिल टॉक द्वारा माल उसी दिन प्राप्त कर जाकर जिसकी पावती स्वरूप उसके द्वारा चालान की प्रति पर प्रति हस्ताक्षर कर दिये गये थे जिसकी जानकारी चूँकि मै सेल्स मैन उक्त संस्था मे हुँ से मुझे प्राप्त है क्योकि सेल्स मैन की हैसियत से कार्यो का सम्पादन मेरे द्वारा ही किया जाता है जो संधारित रेकार्ड मे भी माल की आवक जावक का स्पष्ट इन्द्राज है अतः माल डिलीवरी के पश्चात उत्तरदाता को किसी प्रकार से जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ड्राईवर जीतू के बारे मे उल्लेखित किया गया है के. वी. एस. एस. संस्था का कर्मचारी होना बताया यह गलत है वह तो केवल अनुबन्ध कर्ता के माध्यम से ड्राईवरी का कार्य कर माल की ढुलाई करता वही मेरे सेल्स मेन होने के कारण उसके मुत्तलिक दस्तावेज नियमानुसार तैयार किये जाते जिसके लिये उत्तरदाता को जिम्मेदारी नही ठहराया जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार डीलर अनिल टॉक आवश्यक पक्षकार है जिससे ही वास्तविकता की सही जानकारी से अवगत हो जाया जा सकता है। मदनलाल मैनेजर मौके पर उपस्थित हुये ओर उनके द्वारा प्रकरण में संलिप्तता से इंकार किया क्योकि नियमानुसार ओर्डर प्राप्त करने के पश्चात जरिये चालान माल डीलर को भेजा गया तथा डीलर द्वारा उक्त माल प्राप्त किया गया था तथा उक्त माल डीलर के यहाँ पहुँचने के बाद मेरा या हमारा उससे कोई सरोकार नही रहता है। इस संबंध मे विवाद नही है कि मै संस्था के यहाँ सेल्स मेन हुँ परन्तु सेल्स मेरे वाहन चालक के रूप में हस्ताक्षर हो यह कहना कतई गलत है। यहाँ यह भी निवेदन करना उचित है कि माल डिलीवरी के लिये चालान चार प्रतियो मे तैयार किया जाता है तथा चारो प्रतियो का अवलोकन करने पर चालान कमांक सामान होकर उसमे माल की मात्रा समान दर्ज है तथा माल भी उसी मात्रा मे भेजा गया व डीलर द्वारा प्राप्त किया गया जो कि संस्थान के रेकार्ड व डीलर के रेकार्ड से स्पष्ट है। अतः यह कथन कि गेहुँ परिवहन मे कोई संदिग्ध भूमिका हो या कोई नियम विरूद्ध कार्य किया गया हो या कोई दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर हो ओर वह अवैद्यानिक हो, कतई गलत हो जाते है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 व पुनः 5 मे जो तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है रेकार्ड व परिस्थितियो की विषय वस्तु हो कर मेरे से कोई सरोकार नही रखते है क्योकि डीलर द्वारा दिये गये आर्डर के मुताबिक माल भेजा गया वही डीलर द्वारा प्राप्त कर उसके हस्ताक्षर किये गये जो कि रेकार्ड से स्पष्ट है अतः यदि किसी प्रकार का कोई अवैद्य या अवैद्यानिक कृत्य किया या करवाया गया तो वह डीलर व ड्राईवर के मध्य का है के लिये उत्तरदाता को या संत्त्वा के. वी एस. एस. को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमति गोरा मीणा द्वारा उक्त प्रकरण के पश्चात डीलर अनिल टॉक को आवंटित उचित मूल्य की दुकानो के रेकार्ड आदि की जाँच करने पर उसका लाईसेंस दिनांक 16–12–2015 व दिनांक 22–12–2015 को निलम्बित किया जा चुका है जिसकी एक प्रति उनके द्वारा के. वी. एस. एस. संस्था को भी भिजवाई गई है। तमाम से उत्तरदाता व संस्था की संलिप्तता कही पर किसी प्रकार से रही हो प्रथम दृष्टया ही प्रतीत नहीं है। यह ही नहीं तमाम के बावजुद यहाँ पर यह भी लिखना उचित है कि उत्तरदाता संस्था द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध मे उक्त तथ्यो को उजागर होने पर दिनांक 13–11–2015 को श्री रामवसेवक जोगी अनुबन्ध कर्ता को एक स्पष्टीकरण बाबत नोटिस जारी किया गया जिसके बाबत उसके द्वारा अपने जवाब मे यह बताया गया कि उपरोक्त पूरा प्रकरण उसके ड्राईवर जीतू जोगी व डीलर अनिल टॉक व अनुबन्ध कर्ता की स्वयं की लापरवाही के कारण उनके द्वारा मिल जुल कर किया गया होना जाहिर किया

जिला कलक्टर
अजमेर

गया, जिसका जवाब प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त ठेकेदार श्री राम सेवक का टेण्डर निरस्त कर दिया गया तथा उसके द्वारा दी गई घरोहर राशि जप्त कर ली गई है तथा उक्त आदेश की सूचना दिनांक 14–11–2015 को श्रीमान रसद अधिकारी व समस्त संबंधित विभागो को प्रेषित कर दी गई है। इस प्रकार से उत्तरदाता या संस्था उसकी के द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ना ही कोई ऐसा कृत्य किया गया कि दाण्डिक अपराध की श्रेणी में आता हो अलावा उसके उत्तरदाता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाने पर वह श्रीमान को सन्तुष्ट कर सकेगा कि उनके द्वारा किसी प्रकार से शर्त संख्या–1 का या पी. डी. एस. कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के क्लाज 6(3), 6(4) (आई) का उल्लंघन नही किया ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत किसी प्रकार का दण्डनीय अपराध किया ना ही किसी प्रकार से उन्हे दोषी करार दिया जाकर दण्डित किया जा सकता है। अतः प्रकरण निरस्त फरमावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जप्ती रिपोर्ट से 10.11.2015 को मैं नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी डी.एस.ओ महोदय. अजमेर (प्रथम) के आदेश पर श्री हेमन्त आर्य प्रवर्तन निरीक्षक के साथ थाना सिटी किशनगढ़ पहुंचे। मौके पर थाना प्रभारी श्री गोमाराम मौजूद मिले। थाना प्रभारी द्वारा डी.एस.ओ (प्रथम), अजमेर के नाम तहरीर दी गई जिसके अनुसार दिनाक 10.11.2015 रात्रि को ट्रक नम्बर आर.जे. 14 2जी 4238 में 20 कटटे गेहूँ भरे पाये जाने पर ट्रक को थाना परिसर में रख कर डिटेन किया गया। उक्त के.वी.एस.एस किशनगढ़ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ का उक्त ट्रक नलू एफ.पी.एस डीलर श्री अनिल टांक के यहा गया था। ट्रक के ड्राईवर श्री जीतू के अनुसार डीलर श्री अनिल टांक को आवंटित 57 क्विंटल के स्थान पर उसके द्वारा केवल 47 क्विंटल गेहूँ उतरवाया गया तथा शेष 10 क्विंटल गेहूँ ड्राईवर के पास रखवा दिया गया। अराई पुलिया के पास पुलिस द्वारा इस ट्रक को पकड़ लिया गया। जो कि अवैध रूप से भण्डारित किया जाना स्पष्ट करता है। साथ ही अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन हो। लिहाजा अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1974 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1 तथा पी.डी.एस कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के कलाज 6(3), 6(4) (1) का स्पष्ट उल्लंघन प्रकट करता है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। चूंकि जब्तशुदा वाहन संख्या RJ 14 2G 4238 के सम्बन्ध में हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 08/2016 दिनांक 31.05.2016 से निस्तारण किया जा चुका हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे राज लिया गया 10 किवंटल गेहूं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये 10 किवंटल गेहूँ का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर